(95)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3391–पीबीआर/16 विरूद्ध सूचना पत्र दिनांक 14–6–16 एवं सीमांकन आदेश दिनांक 18–6–16 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल, बाडी जिला रायसेन प्रकरण कमांक 18/अ–12/2015–16.

हनुमत सिंह राजपूत आत्मज हरप्रसाद राजपूत
कृषक एवं निवासी ग्राम रिमसिली
तहसील बाडी जिला रायसेन

.....आवेदक

विरूद्ध

1– भगवान सिंह आत्मज कोमल सिंह राजपूत
2– रमेश कुमार आत्मज कोमल सिंह राजपूत
कृषक एवं निवासीगण ग्राम रिमसिली
तहसील बाडी जिला रायसेन
3– मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल, बाडी जिला रायसेन द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 14–6–16 एवं पारित आदेश दिनांक 18–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम रिमसिली तहसील बाडी स्थित उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की सर्वे कमांक 14/2/1 रकबा 2.023 हेक्टेयर के भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल, बाडी जिला रायसेन के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–12/2015–16 दर्ज कर दिनांक 14–6–16 को सीमांकन की सूचना पत्र जारी कर दिनांक 18–6–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई है, और न ही सूचना पत्र दिनांक 14–6–16 की विधिवत तामीली कराई गई है । इस आधार पर कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्ती योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही आवेदक की अनुपस्थिति में किया जाकर अनावेदकगण की भूमि पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किये जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को सीमांकन की जानकारी संहिता की धारा 250 के प्रकरण में नोटिस जारी होने पर प्राप्त हुआ है ।

उनके द्वारा सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही एवं पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को विधिवत सीमांकन की सूचना दी गई है, जिसे आवेदक द्वारा लेने से इन्कार किया गया है । प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदक का पुत्र उपस्थित रहा है । राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर फील्डबुक एवं नक्शा तैयार किया गया है, जो कि प्रकरण में संलग्न है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल, बाडी जिला रायसेन द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 14–6–16 एवं पारित आदेश 18–6–16 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर